तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **लक्ष्मी परिहार बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 343 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-11-2022	अपीलार्थी लक्ष्मी परिहार, आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी बेरा बेरिया, गांव रामपूरा भाटियान तहसील तिवरी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.20222 में (1) जिला स्तरीय जनसुनवाई में 1 दिनांक 5 मार्च 2019 क्रमांक 778 ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान में ग्राम साथिन पद की भर्ती में गड़बड़ी के संबंध में दिए गए परिवाद की कॉपी एवं परिवाद पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1886 दिनांक 28.10.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथ्रना पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट प्राथ िया को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1642 दिनांक 21.09.22 द्वारा बिन्दु संख्या 7 व 8 की सूचना के संबंध में कुल 75 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 150/– कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, सम्पर्क शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1722 दिनांक 29.09.22 द्वारा 42 पृष्ठो की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। आंशिक सूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी कर दिये जाने से अपील निरस्त करने की इस्तदुआ की। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण 75 पृष्ठीय सूचना नहीं दी जा सकी अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्टेज पर यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	